



फर्ड अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही


प्रार्थी/अपीलांट  
श्री नेमीचंद जैन पुत्र श्री रायचंद जैन  
जाति जैन  
निवासी सिरौही रोड तहसील पिण्डवाडा  
जिला सिरौही।  
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 6<sup>थ</sup>वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	<p>अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 03.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि निगरानी संख्या 07/2008 में निगरानीकर्ता श्री कपूरचंद द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 07.09.2007 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त निगरानी में प्रस्तुत जवाब दिनांक 11.06.2008 की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 03.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि निगरानी संख्या 07/2008 में निगरानीकर्ता श्री कपूरचंद द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 07.09.2007 की प्रमाणित प्रति एवं उक्त निगरानी में प्रस्तुत जवाब दिनांक 11.06.2008 की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 528 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">             (भगवती प्रसाद)            जिला कलक्टर, सिरौही         </p>	